

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश
एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-28/2017(खण्ड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

03

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 18.4.18

विषय:-

समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु.2491,63.19/- लाख (रु. दो हजार चार सौ एकानवे करोड़ तिरसठ लाख उन्नीस हजार), राज्यांश राशि रु.677,43.39/- (रु. छः सौ सतहत्तर करोड़ तेतालीस लाख उनचालीस हजार) एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) में रु.346,31.83/- (रु. तीन सौ छियालीस करोड़ एकतीस लाख तीरासी हजार) यानी कुल रु.3515,38.41/- (रु. तीन हजार पांच सौ पन्द्रह करोड़ अडतीस लाख एकतालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक-5724 दिनांक-27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.17 एवं पत्रांक 4069 दिनांक 08.12.17 के क्रम में राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु.2491,63.19/- लाख (रु. दो हजार चार सौ एकानवे करोड़ तिरसठ लाख उन्नीस हजार), राज्यांश राशि रु.677,43.39/- लाख (रु. छः सौ सतहत्तर करोड़ तेतालीस लाख उनचालीस हजार) एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) में रु.346,31.83/- लाख (रु. तीन सौ छियालीस करोड़ एकतीस लाख तीरासी हजार) यानी कुल रु.3515,38.41/- लाख (रु. तीन हजार पांच सौ पन्द्रह करोड़ अडतीस लाख एकतालीस हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	बजट उपबन्ध
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि				
1	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) (स्थापना प्रशिक्षण सहित) (51-2235021020222)	60:40/ 25:75	9281	6,34,07.41
2	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित) (51-2235021020225)	60:40	1202	72,00.00
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-सामान्य (51-2236021010203)	50:50	9281	7,08,54.16
4	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-विशेष घटक (51-2236027890204)	50:50	9281	5,62,70.69
5	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन (51-2235021030219)	60:40	9226	2,10.00
6	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030225)	60:40	3534	42,91.44
7	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0) (51-2235021020224)	60:40/ 50:50	9200	2,89,01.28
8	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण, उत्क्रमण, मरम्मत, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का निर्माण) (51-4235021020208)	75:25/ 60:40	9281	1,79,68.21
9	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (51-2235021020226)	60:30:10	1177	60.00
योग:-1 (रु. दो हजार चार सौ एकानवे करोड़ तिरसठ लाख उन्नीस हजार)				2,49,163.19

-2-

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि				
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) (स्थापना प्रशिक्षण सहित) (51-2235021020322)	60:40/ 25:75	9281	162,58.19
11	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित) (51-2235021020325)	60:40	1202	19,00.00
12	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-सामान्य (51-2236021010303)			0.01
13	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-विशेष घटक (51-2236027890304)	50:50	9281	268,15.79
14	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-जनजातीय (51-2236027960305)			105,46.15
15	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन - सामान्य (51-2235021030319)	60:40	9226	78.75
16	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन-विशेष घटक (51-2235027890313)			26.25
17	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0) -सामान्य (51-2235021020324)	60:40/ 50:50	9200	71,72.90
18	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)(किशोरी बालिकाओं के लिए योजना एस0ए0जी0)-विशेष घटक (51-2235027890312)	50:50		21,15.34
19	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030225)	60:40	3534	14,30.00
20	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, उत्क्रमण, मरम्मत, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का निर्माण) (51- 4235021020308)	75:25/ 60:40	9281	13,80.01
21	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (51-2235021020326)	60:30: 10	1177	20.00
योग:-2 (रू. छः सौ सतहत्तर करोड तेतालीस लाख उनचालीस हजार)				677,43.39
राज्य स्कीम (राज्यांश सहित)				
22	आंगनबाड़ी सेवाएँ (आईसीडीएस) (स्थापना) (51-2235021020327)	00:100	9281	228,55.44
23	आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना-सामान्य (51-2235021020117)			79,69.79
24	आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना-विशेष घटक (51-2235027890103)	0:100		26,56.60
25	समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम हेतु (MIS) (51-2235021020105)	0:100		11,50.00
योग:-3 (रू.तीन सौ छियालीस करोड एकतीस लाख तीरासी हजार)				346,31.83
कुल (योग 1+2+3):- (रू. तीन हजार पांच सौ पन्द्रह करोड अडतीस लाख एकतालीस हजार)				3515,38.41

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधा पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 05/टि0 पर दिनांक 17.04.2018 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 06/टि0 पर दिनांक 18.04.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

-3-

जापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड)

/.....03...../दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस., निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

जापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड)

03

/...../दिनांक- 18.4.18

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।